

फॉर्म अहकाम

नरेश

बनाम

ओगप्रकाश वर्मा

न्यायालय का नाम- उपखण्ड अधिकारी जोबनेर
 फ़ैस सं० / 2024

क्र.सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	13.11.2024	<p>अधिवक्ता श्री विरवी चन्द वर्मा द्वारा नाम वास्तु विभाजन एवं स्थायी निवेशाज्ञा पेश किया। रिपोर्ट सविस्तर हो चुकी है। अतः वर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को तलबी जारी रखिओ एबीओ नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 29.11.2024 को पेश हो।</p> <p><i>स</i></p> <p>उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>	
	29.11.24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता श्री विरवी चन्द वर्मा द्वारा प्रतिवादी को तलबी जारी रखिओ एबीओ नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 29.11.24 को पेश हो।</p> <p><i>स</i></p> <p>उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>	
	20.12.24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता श्री विरवी चन्द वर्मा द्वारा प्रतिवादी को तलबी जारी रखिओ एबीओ नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 20.12.24 को पेश हो।</p> <p><i>स</i></p> <p>उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>	
	10.1.25	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी को आज्ञा-आदेश में पृथक-पृथक समग्र पर तीन-तीन कार</p>	<p><i>स</i></p> <p>उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. / 202.....

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विवरण
		<p>आवाजें (पगवाही) जारी। आवृत्त भ्रामजलगताने के उपरांत भी जारी के न्यायालय में छोड़ि नहीं जाते के कारण पत्रावली अस्तित्व में नही नियम - 3 जो की के तहत समय छोड़ी व समय पत्रवी में खारिज की जाती है। पत्रावली केवल शुमार हीनर नंबर से कम हीकर शक्ति रहते ही।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>	